न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

तारा चन्द बनाम राम प्रताप

किस्म मुकदमा ब्जादारी मु.नं० 75 वर्ष 2018

29.6.18	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश । विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने उप खण्ड अधिकारी, फतेहपुर के आदेश के विरूद्ध की है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं है । पहले क्षेत्राधिकार के बिन्दु को निर्धारित किया जावे । इसके बाद ही अपील में आगे कार्यवाही की जावे । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि यह आदेश उप खण्ड अधिकारी का आदेश है और उप खण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील इसी न्यायालय में पेश की जायेगी ।इस अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे । बहस बगौर समाहत की गई ।अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट सं०-1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की है । उक्त धाराओं में अदालत मातहत द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसकी अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है । ~~००~~ इन धाराओं में पारित आदेशों की अपील माननीय सम्भागीय आयुक्त के न्यायालय के श्रवणाधिकार की है ।अतः अपीलान्ट की अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने पर खारिज किया जाना उचित मानते हैं ।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय दिनांक 9-6-2017 यथावत रखा जाता है । निर्णय सुनाया गया । 29/6/17 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	